भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1230
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्य कृषक उत्पादक संघ (एफएफपीओ)

1230. श्री श्रीभरत मथुकुमिल्लि:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आन्ध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की मत्स्य कृषक उत्पादक संघ (एफएफपीओ) योजना के अंतर्गत आवंटित और संवितरित निधियों का विशेषकर विशाखापत्तनम सहित जिला-वार, ब्यौरा क्या है;
(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार, विशेषकर विशाखापत्तनम में कितने एफएफपीओ बनाए गए और पदोन्नत किए गए;
(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश में, विशेषकर विशाखापत्तनम में एफएफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए जिला-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;
(घ) ऐसी अवधि के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश, विशेषकर विशाखापत्तनम में एफएफपीओ के गठन और पदोन्नति के कार्यान्वयन में क्या-क्या चुनौतियां आईं अथवा विलंब का सामना करना पड़ा और इसके क्या कारण हैं;
(ङ) एफएफपीओ द्वारा आन्ध्र प्रदेश में, विशेषकर विशाखापत्तनम में प्राप्त की गई ऋण गारंटियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) ऋण गारंटियों की पहुंच और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (च): प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य कृषकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी बारगेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएमएमएसवाई के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में अधिसूचित किया गया है और इस योजना के तहत, एनसीडीसी को सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 263.30 करोड़ रुपये की लागत से कुल 70 नए एफएफपीओ बनाने और मौजूदा 1000 मत्स्य सहकारी समितियों को एफएफपीओ में गठित करने का कार्य सौंपा गया है। एनसीडीसी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में 406.00 लाख रुपये की कुल लागत से 7 एफएफपीओ का गठन किया गया है, जिनके नाम हैं - एसपीएसआर नेल्लोर, बापटला, श्री बालाजी,

प्रकाशम, अनंतपुर, कुरनूल और नंद्याला और आंध्र प्रदेश राज्य में एफएफपीओ के गठन और प्रचार के लिए चयनित क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठनों (सीबीबीओ) को 65.77 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है । इसके अलावा, यह सूचित किया गया है कि विशाखापट्टनम जिले में 2 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति (पीएफसी) सहित आंध्र प्रदेश के 26 जिलों में मौजूदा 182 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों (पीएफसी) को एफएफपीओ के रूप में गठित करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनसीडीसी द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य मछुआरा सहकारी समिति संघ लिमिटेड (एएफसीओएफ) को 637.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है । आंध्र प्रदेश में एफएफपीओ के गठन और संवर्धन के कार्यान्वयन में एनसीडीसी द्वारा सूचित की गई चुनौतियों में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विशेष रूप से अंतर्देशीय मछुआरा सहकारी समितियों से सदस्यों के प्रवेश में कठिनाई है । एफएफपीओ को विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं एवं एफएफपीओ की व्यावसायिक विस्तार आवश्यकताओं के लिए ऋण गारंटी का लाभ उठाने के लिए नियमित रूप से जागरूक किया जाता है । एनसीडीसी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में नए एफएफपीओ के गठन के लिए आवंटित, वितरित/उपयोग की गई धनराशि का जिलावार विवरण नीचे दिया गया हैः

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**आवंटित/स्वीकृत राशि**	**संवितरित/उपयोग की गई राशि**
1	बापटला	58.00	14.42
2	श्री बालाजी	58.00	13.27
3	कुरनूल	58.00	9.17
4	अनंतपुर	58.00	6.57
5	नंद्याला	58.00	6.17
6	प्रकाशम	58.00	8.06
7	एसपीएसआर नेल्लोर	58.00	8.11
कुल		**406.00**	**65.77**

*****